

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा-माध्य/गुण. तथा प्रशि. अनु./MSRA/61186/2026-27

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।

(जरिये ई-मेल)

विषय :- पढ़ो राजस्थान" मिशन के अंतर्गत 7वें कालांश के प्रभावी संचालन, पठन गतिविधियों के नियमित आयोजन एवं सतत मॉनिटरिंग के संबंध में।

प्रसंग :- राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के पत्र दिनांक : 21.07.2026 राजकाज रेफ नं. 23510988

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंसाओं के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2026-27 तक प्रारम्भिक कक्षाओं के समस्त विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान का विकास करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य में विद्यार्थियों में पठन कौशल, पठन-बोध एवं अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु "पढ़ो राजस्थान" मिशन संचालित हैं। इसके अंतर्गत विद्यालयों में प्रतिदिवस 7वाँ कालांश रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित किया गया है। यह कालांश केवल विद्यार्थियों को पुस्तक के कुछ पृष्ठ पढ़वा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे Structured Reading Support Period के रूप में संचालित किया जाना अपेक्षित है।

रीडिंग पीरियड का मूल उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से पढ़ने, पढ़ी गई सामग्री को समझने, नए शब्दों को जानने, अपने विचार व्यक्त करने तथा पढ़ी गई सामग्री पर विचार करने का अवसर प्रदान करना है। प्रत्येक रीडिंग पीरियड को विद्यार्थियों की रीडिंग को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उपयोग किया जाना चाहिए। इस अवधि में शिक्षक की भूमिका केवल पाठ पढ़वाने की न होकर विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने, उनकी पठन-क्षमता के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने, पठन के दौरान सहायता देने, समझ की जाँच करने तथा चर्चा एवं अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने की होगी।

रीडिंग पीरियड की प्रत्येक गतिविधि को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया से जोड़ा जाए जिसमें विद्यार्थी -

पढ़ें → समझें → चर्चा करें → साझा करें → चिंतन करें।

READ → UNDERSTAND → DISCUSS → SHARE → REFLECT

विद्यालयों में 7वें कालांश को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु शिक्षकों को क्या करना है?, कैसे करना है? तथा पूरे कालांश का उपयोग विद्यार्थियों की पठन क्षमता में सुधार के लिए किस प्रकार करना है?, के लिए निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते हैं-

रीडिंग पीरियड समय एवं दैनिक गतिविधियां

1. **रीडिंग पीरियड-** विद्यालयों में प्रति दिवस 7वाँ कालांश रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित हैं, इसे बिना किसी अपवाद के प्रतिदिन संचालित किया जाना अनिवार्य है।

2. **रीडिंग पीरियड गतिविधियां :**

- शिक्षकों द्वारा प्रत्येक दिवस निर्धारित पाँच गतिविधियों सस्वर पठन, युग्मित पठन, कहानी कार्ड, चित्र बनाओ एवं बताओ, तथा मौन पठन में से किसी एक गतिविधि का संचालन किया जाए। रीडिंग गतिविधि का चुनाव विद्यार्थियों की उम्र, रीडिंग लेवल और उपलब्ध सामग्री के अनुसार किया जाए।

RajKaj Ref No.:
24822867



Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-10-01
13:53:27 IST

- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक दिवस एक जैसी गतिविधियां नहीं हो, सप्ताह में इन गतिविधियों को क्रमशः परिवर्तित किया जाए, ताकि बच्चों को सभी पाँच गतिविधियों का अनुभव प्राप्त हो। रीडिंग पीरियड दैनिक गतिविधियों के लिए सप्ताह के सभी दिवसों हेतु सुझावात्मक गतिविधि-चक्र तथा गतिविधि का प्रदर्शन वीडियो निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित है:

दिवस	गतिविधि	गतिविधि का डेमो वीडियो
सोमवार	सस्वर पठन (Read Aloud)	https://youtu.be/uN7vh4rcn7I
मंगलवार	युग्मित पठन (Paired/ Buddy Reading)	https://youtu.be/91BtrwC0k4s
बुधवार	कहानी कार्ड (Story Cards)	https://youtu.be/zo7uGVV9IKU
गुरुवार	चित्र बनाओ एवं बताओ (Draw and Tell)	https://youtu.be/p-n5K4Kjr34
शुक्रवार	मौन पठन (Silent Reading)	https://youtu.be/IBuPX5kljX0

नोट:

- सस्वर पाठन के लिए निर्धारित दिवस के अतिरिक्त भी प्रत्येक गतिविधि के साथ, प्रतिदिन कुछ विद्यार्थियों द्वारा सस्वर पठन अवश्य किया जाना चाहिए।
- विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तकों को रीडिंग पीरियड की पठन-सामग्री के रूप में उपयोग न किया जाए, बल्कि उनके स्तर एवं रुचि के अनुरूप बायोग्राफी, मैगजीन्स एवं अन्य उपयुक्त पठन-सामग्री का चयन किया जाए। इससे विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत के साथ विषयवस्तु को पढ़कर समझने की क्षमता विकसित होगी।
- शिक्षक ऐसी सूची/क्रम (Roster) तैयार करें जिससे कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को सप्ताह में कम से कम एक बार सस्वर पठन करने का अवसर मिले।
- किस विद्यार्थी ने किस उक्त दिवस को सस्वर पठन किया है, इसकी एंट्री शिक्षक डायरी में की जाए।
- शिक्षक नियमित रूप से पहचानें कि कौन सहजता से पढ़ रहा है और किस विद्यार्थी को सहायता की आवश्यकता है।

रीडिंग पीरियड का प्रभावी उपयोग- प्रत्येक 30-35 मिनट के रीडिंग पीरियड का प्रभावी उपयोग निम्नानुसार किया जा सकता है-

समय	गतिविधि	विवरण
5 मिनट	पूर्व विषय चर्चा	विद्यार्थियों द्वारा घर पर पढ़े गए विषय पर संक्षिप्त चर्चा
5 मिनट	नवीन विषय चयन	विद्यार्थी अपनी रुचि और रीडिंग लेवल के अनुसार कहानी, कविता, पुस्तक, अथवा समाचार आदि पठन सामग्री चुनें।
15-20 मिनट	रीडिंग गतिविधि	विद्यार्थी निर्धारित रीडिंग गतिविधि करें। रीडिंग में सुधार की आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के साथ शिक्षक Guided Reading करें अथवा Buddy Reading कराया जाए।
5 मिनट	बात करें	दो विद्यार्थी/शिक्षक-विद्यार्थी आपस में चर्चा करें। उन्होंने क्या पढ़ा? क्या समझा? क्या नया जाना?
5 मिनट	शब्द और समझ	पठन से 2-3 नए शब्द, मुख्य विचार अथवा कोई रोचक तथ्य साझा करें।



कक्षा में ORF के परिणामों का प्रदर्शन एवं विभेदित सहयोग—

- ORF आकलन के परिणामों का प्रिंट निकालकर कक्षा में दृश्य एवं प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाए।
- विद्यार्थियों के समूहों को रैंक सूची के रूप में प्रदर्शित न करते हुए पठन समूहों (Reading Cohorts) के अनुसार प्रदर्शित किया जाए, जैसे—
 - C1 – बीज
 - C2 – अंकुरण
 - C3 – पुष्पन
 - C4 – फलन
- प्रत्येक ORF चरण के बाद कोहर्ट्स को अद्यतन किया जाए, ताकि विद्यार्थियों, शिक्षकों के साथ ही अभिभावकों एवं आगंतुकों को भी कोहर्ट्स में विद्यार्थियों की प्रगति दिखाई दे सके।
- शिक्षक इन पठन समूहों का उपयोग विभेदित सहयोग (Differentiated Support) की योजना बनाने तथा युग्मित पठन के दौरान विद्यार्थियों के युग्म बनाने में करें।
- पठन में सुधार की आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को उनके स्तर के अनुसार सामग्री, Buddy Reading और Guided Reading के माध्यम से targeted support दिया जाए।
- किसी गतिविधि को पहली बार करवाने से पूर्व उसकी प्रदर्शनात्मक वीडियो (Demo Video) अवश्य देखी जाए।
- सप्ताह में सभी पाँच गतिविधियों को पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। कक्षा की आवश्यकता के अनुसार दिनवार क्रम में परिवर्तन किया जा सकता है।

विद्यालय प्रार्थना सभा में प्रोत्साहन/सम्मान :

- साप्ताहिक विद्यालय प्रार्थना सभा में उन बच्चों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने किया जा सकता है, जिनके पठन में सुधार हुआ है।
- सम्मान का आधार केवल सबसे अच्छे पाठक नहीं, बल्कि पठन में सुधार एवं एक समूह से दूसरे समूह में प्रगति होना चाहिए।
- सम्मान (सुझावात्मक):
 - सप्ताह का पाठक (Reader of the Week) बैज अथवा प्रमाण-पत्र प्रदान करना।
 - विद्यार्थी को प्रार्थना सभा में कोई संक्षिप्त अनुच्छेद अथवा कहानी पढ़ने के लिए आमंत्रित करना।

रीडिंग कॉर्नर एवं विद्यालय पुस्तकालय

- प्रत्येक कक्षा में एक कार्यशील रीडिंग कॉर्नर (पठन कोना) होना चाहिए तथा विद्यालय पुस्तकालय में रुचिकर एवं आयु-उपयुक्त सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे—कहानी की पुस्तकें, चित्र पुस्तकें, कॉमिक्स, पत्रिकाएँ एवं स्थानीय भाषा की पुस्तकें।
- पुस्तकों को विद्यार्थियों की पहुँच में रखा जाए तथा जहाँ संभव हो, उन्हें इस प्रकार प्रदर्शित किया जाए कि उनके मुखपृष्ठ सामने की ओर दिखाई दें।
- पुस्तकों के निर्गमन की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को सप्ताह में कम से कम एक पुस्तक घर ले जाने हेतु जारी की जानी चाहिए तथा इसका रिकॉर्ड सरल निर्गमन रजिस्टर अथवा कार्ड में रखा जाए।



- पठन कोने को रुचिकर बनाए रखने के लिए पुस्तकों के संग्रह को समय-समय पर बदला या नवीन किया जाए।

घर पर पठन के लिए बच्चों को प्रेरित करना

- विद्यार्थियों को घर से अपनी लिखी हुई कहानी, कविता, अनुभव, कोई रोचक जानकारी अथवा अखबार/पत्रिका में पढ़ी सामग्री लाने और कक्षा में पढ़कर सुनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- नो बैग डे में एक गतिविधि My Story/My Poem/My Favourite Book के लिए रखा जा सकता है।
- प्रस्तुति के बाद विद्यार्थी यह भी बताएँ—“मैंने इससे क्या सीखा?”
- इससे रीडिंग पीरियड पुस्तक पढ़ने की गतिविधि से आगे बढ़कर बच्चों की अपनी आवाज़ और अभिव्यक्ति का मंच बनेगा।

WhatsApp के माध्यम से अभिभावक सहभागिता

- शिक्षक विद्यार्थियों के पठन के संक्षिप्त वीडियो रिकॉर्ड करें और उन्हें अभिभावक के साथ कम से कम सप्ताह में दो बार साझा करें।
- अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे प्रतिदिन कुछ मिनट अपने बच्चे को पढ़ते हुए सुनें तथा उन्हें शिक्षकों द्वारा भेजे गये मैसेज के प्रत्युत्तर में संक्षिप्त वीडियो अथवा वॉइस नोट भेजें।

पढ़ो राजस्थान : त्वरित अनुपालन जाँच-सूची (Quick Compliance Checklist)

- पढ़ो राजस्थान कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सतत मॉनिटरिंग के लिए विद्यालय स्तर पर निम्नांकित बिंदुओं की जाँच की जाएगी। मॉनिटरिंग के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि निम्नांकित गतिविधियाँ निर्धारित समय-सारणी के अनुसार नियमित रूप से संचालित हों तथा संबंधित अभिलेख/ट्रैकर अद्यतन रखे जाएँ।

जाँच का बिंदु	आवृत्ति	अनुपालन
प्रतिदिन एक पठन गतिविधि का संचालन	दैनिक	☐
प्रत्येक बच्चे द्वारा सप्ताह में कम से कम एक बार सस्वर पठन	साप्ताहिक	☐
रजिस्टर में सस्वर पठन ट्रैकर का अद्यतन	साप्ताहिक	☐
ORF पठन समूह चार्ट का प्रदर्शित एवं अद्यतन होना	प्रत्येक ORF चरण के बाद	☐
पठन कोना/पुस्तकालय से बच्चों को पुस्तकों का निर्गमन	साप्ताहिक	☐
अभिभावकों के साथ WhatsApp पर पठन वीडियो साझा करना	सप्ताह में दो बार	☐
पठन में सुधार करने वाले बच्चों का प्रार्थना सभा में सम्मान	साप्ताहिक	☐

इस जाँच-सूची उपयोग शिक्षक द्वारा स्वयं की समीक्षा के लिए तथा संस्था प्रधान अथवा निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा जाँच के लिए किया जाए।

“पढ़ो राजस्थान” मिशन के उद्देश्यों की प्रभावी पूर्ति हेतु उपर्युक्त निर्देशों की विद्यालय स्तर पर गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए। 7वें कालांश को नियमित पठन अभ्यास तक सीमित न रखते हुए विद्यार्थियों में पठन-बोध, शब्द-भंडार, अभिव्यक्ति एवं चिंतन कौशल के विकास के अवसर के रूप में उपयोग किया जाए। संस्था प्रधान द्वारा 7वें कालांश के संचालन, निर्धारित पठन गतिविधियों, सस्वर पठन ट्रैकर, Reading Cohorts, पुस्तक निर्गमन एवं अभिभावक सहभागिता आदि की नियमित समीक्षा की जाए तथा आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों को स्तरानुसार सहयोग उपलब्ध कराया जाए।



संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्राधीन विद्यालयों में उक्त निर्देशों की नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग करते हुए यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित गतिविधियाँ से विद्यार्थियों के वास्तविक पठन व्यवहार एवं पठन क्षमता में सुधार के रूप में दिखाई दें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
संलग्न : यथोक्त।

(ललित कुमार)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं
पदेन अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त तथा राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में। (जरिये ई-मेल)
3. निजी सचिव, शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर। (जरिये ई-मेल)
4. निजी सहायक, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। (जरिये ई-मेल)
5. निजी सहायक, निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर। (जरिये ई-मेल)
6. तकनीकी निदेशक, NIC, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर। (जरिये ई-मेल)
7. उपनिदेशक शालादर्पण जयपुर। (जरिये ई-मेल)
8. निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा। (जरिये ई-मेल)
9. सहायक निदेशक, पीएसपी/मॉनिटरिंग/माध्यमिक/शालादर्पण/वीआईपी/सतर्कता अनुभाग, कार्यालय हाजा। (जरिये-ईमेल)
10. समस्त संस्थाप्रधान
11. समस्त शिक्षकगण
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं
पदेन अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

